

आदेश क्रमांक 23/143 -2001-वि0 1 (2) दिनांक चण्डीगढ़ 14-6-2001

~~सैन्ट पब्लिक स्कूल डी एल एच-4, गुडगांव~~
को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से ~~दसवीं~~ स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।


विभागिय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

आर.डी. शर्मा
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 15-6-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी ~~गुडगांव~~ को उनके पत्र क्रमांक ~~JA-4/2001/~~
450 दिनांक 24-5-2001 के सन्दर्भ में ।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक ~~गुडगांव~~ जिला ~~सैन्ट पब्लिक स्कूल डी एल एच-4~~
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूसिटी सैन्टर प्रीत
बिहार, नई दिल्ली- 11002.


अधीक्षक विद्यालय-1/6
कृत निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
1 23/143-2001